| नम्बर व तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.05.2024 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील रेस्पो./अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2008 की अपील करीब 45 माह बाद प्रस्तुत की है। जिसका कोई समुचित कारण अपील में या अलग से प्रार्थना पत्र मियाद में नहीं बताया गया है।अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपील के साधन का उपयोग करने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र धारा 65(2) राज. भू. राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर आदेश अन्तर्गत अपील को निरस्त कराने का साधन अपनाया तथा उसे दिनांक 08.07.2011 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये निर्णय अपीलांट के विरूद्ध कर दिया। दिनांक 08.07.2011 की कोई अपील अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में नहीं की है। यह आदेश उसके विरूद्ध अन्तिम हो चुका है। उक्त आदेश से पूर्व का आदेश दिनांक 29.02.2008 मर्ज हो चुका है व वह एगजिसटेन्स में नही रहा है। उसे अपील के माध्यम चुनौती नहीं दी जा सकती है। पूर्व में निर्णित प्रार्थना पत्र की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। दूसरा निर्णय दिनांक 08.07.2011 का है। उक्त आदेश के भी लगभग 32 दिवस बाद अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।<br>वकील अप्रार्थी/अपीलांट का कथन है कि प्रारम्भिक आपत्ति पर सुनवाई न होकर बहस अन्तिम में सुनी जावेगी। धारा 05 मियाद अधिनियम का अनुतोष का उल्लेख प्रार्थना पत्र धारा 65(2) के आदेश में किया गया है। एक अनुतोष के लिए दो कार्यवाही नहीं हो सकती हैं। अपील दिनांक 07.06.2022 को दर्ज हुई और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65(2) राज. भू. राजस्व अधिनियम इससे पूर्व का है। धारा 65(2) के तहत अनुतोष नहीं चाहा है। दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध अपील पेश की है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के विरूद्ध अपील इसी न्यायालय में चल सकती है। विलम्ब के लिए आपत्ति लगाई गई है। जिसे खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र धारा 65(2) राज. भू. राजस्व अधिनियम मर्ज हो जाने से प्रभाव में नहीं है। अपील चलने योग्य ही है। मियाद के बिन्दु पर कोई जबाब नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज फरमाया जावे।<br>वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील | |

लगभग 45 माह बाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में भी कोई ठोस कारण अपील को देरी से प्रस्तुत करने का नहीं दिया गया है। प्रकरण धारा 66(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 08.07.2011 को किया गया जा चुका है जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई। धारा 66(2) का प्रार्थना पत्र से चाहा अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। धारा 5 मियाद अधिनियम की अवधि प्रथम अपील पेश करने की 30 दिवस एवं द्वितीय अपील करने की 90 दिवस निर्धारित है। दोनों अवधि निकल जाने के बाद अपील पेश की गई है। विलम्ब का प्रतिदिन के हिसाब से कारण औचित्य सहित दिया जाना चाहिए। परन्तु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई भी स्पष्ट कारण औचित्य सहित नहीं दिया गया है। अपील अपीलांट द्वारा देरी के संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं जिससे स्पष्ट हो सके। अतः प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपील के विलम्ब की श्रेणी में आने के कारण अपील अपीलांट इसी स्तर पर मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/5/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर